सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 25, बुधवार, *शाके* 1948- अप्रेल 15, 2026 Chaitra 25, Wednesday, Saka 1948- April 15, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 07, 2026

संख्या प.6(6)कृषि/ग्रुप-2/1996 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 19.12.1995 के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति (फल-सब्जी) श्रीगंगानगर की स्थापना की गई थी

अब कृषि उपज मंडी समिति (फल-सब्जी) श्रीगंगानगर द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम साधूवाली मे ''साधूवाली गौण मण्डी यार्ड (गाजर) '' घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम साधूवाली मे ''साधूवाली गौण मण्डी यार्ड (गाजर) '' स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व दिशा मे - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वाटर वर्क्स, कालूवाला (1एम0एल0) की उतरी दिवार से 14 फिट पहले के साथ लगती चौड़ाई 148.11 फिट

पश्चिम दिशा मे - राजमार्ग (NH-62) की सीमा के साथ स्थापित डी नहर के हैड वर्क्स की भूमि के साथ

उत्तर दिशा मे - गांव साधूवाली के चक 2 डी के मुरब्बा नं.1, 2, 3, 4, 18, 19, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 42, 44, 51, 52 व 59 एवं चक 1 एम0एल0 के मुरब्बा नं0 1, 16, 17 की राजस्व सीमा।

दक्षिण दिशा मे - गंगकनाल मुख्य नहर की 87 फिट सर्विस रोड (बुर्जी संख्या 36885 से 49700 तक) की सीमा

गौण मण्डी यार्ड (गाजर) साधूवाली की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।